उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–40/2013–14

श्यामलाल यादव

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता श्यामलाल यादव, पे0–स्व0 दुलार प्र0 महामरीक, सा0–पसई, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–76/2011–12 के आदेश दिनांक–01.08.2013 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–76/2011–12 आदेश दिनांक–01.08.2013 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत हलधर यादव को मौजा–पकड़िया का प्रधान नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–पकड़िया थाना नं0–59 प्रधानी मौजा है और कृपाली महामरीक मौजा के अंतिम प्रधान थे। गत प्रधान कृपाली महामरीक की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने मौजा–पकड़िया के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। गत प्रधान कृपाली महामरीक का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है:–

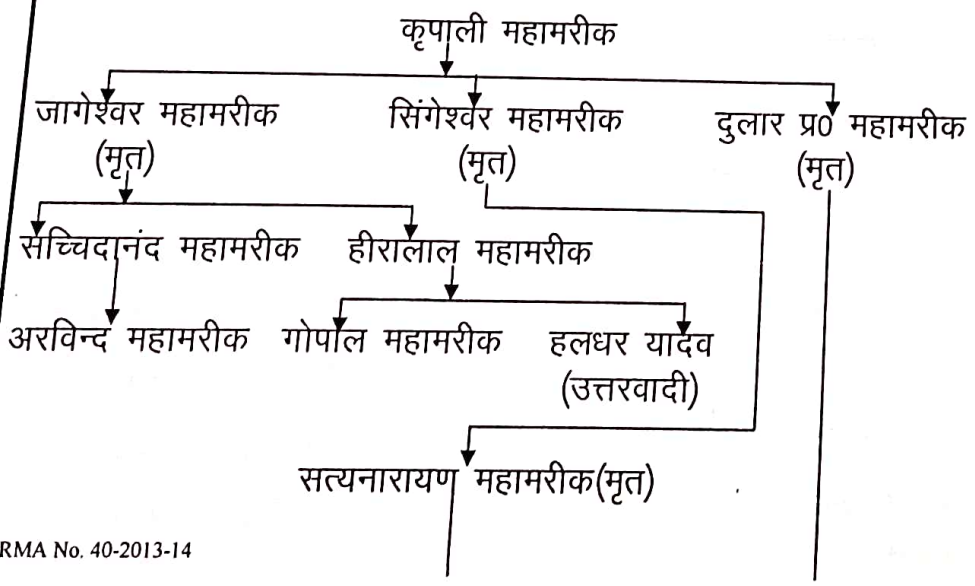

विज्ञान महामरीक
(उत्तरवादी तृतीय पक्ष)

मोतीलाल महामरीक श्यामलाल यादव चुनीलाल यादव
(अपीलकर्त्ता)

उनका आगे कथन है कि गत प्रधान कृपाली महामरीक का अगला वारिश होने के आधार पर अपीलकर्त्ता ने मौजा–पकड़िया के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए विहित प्रपत्र में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत दिनांक–09.08.2011 को आवेदन दाखिल किया। उसी दिन उत्तरवादी द्वितीय हलधर यादव के द्वारा भी संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन दाखिल किया गया। उसके कुछ समय बाद उत्तरवादी तृतीय विज्ञान महामरीक के द्वारा भी नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने सभी आवेदकों के आवेदन पर अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश दिया गया। मौजा के रैयत दिनांक–16.06.2012 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उपस्थित हुए एवं रैयतों की ओर से आवेदन दिया गया कि अपीलकर्त्ता प्रधानी पद के लिए सक्षम व्यक्ति है एवं कानून का भी जानकार है। इसलिए अपीलकर्त्ता ही मौजा–पकड़िया का प्रधान नियुक्त होना चाहिए। उस आवेदन में उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के चाचा का भी हस्ताक्षर है एवं एक अन्य उम्मिदवार जयराम यादव ने अपीलकर्त्ता के पक्ष में अपना दावा वापस लिया था। पूर्व मुखिया जो पकड़िया के रैयत है, ने भी अपीलकर्त्ता के पक्ष में आवेदन दिया गया था। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा नियम के विपरीत उत्तरवादी द्वितीय पक्ष हलधर यादव को मौजा–पकड़िया का प्रधान नियुक्त किया गया। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क पर सही तरीका से विचार नहीं किया गया। अपीलकर्त्ता के नाम से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा अपीलकर्त्ता बराबर गाँव जाते रहते हैं। उत्तरवादी हलधर यादव ने निम्न न्यायालय के मूल आवेदन में अपने पिता हीरालाल यादव को मृत दर्शाया गया था, जबकि उत्तरवादी हलधर यादव के पिता जीवित थे और अभी भी जीवित है। वे वृद्धा

पेंशनर भी हैं। हीरालाल यादव के द्वारा वर्तमान अपील वाद में शपथ पत्र भी दिया गया था एवं उस पर हीरालाल यादव के मृत होने के संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से हीरालाल यादव के मृत्यु के बारे में प्रतिवेदन माँगा गया था। लेकिन अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट ने प्रधान नियुक्ति के योग्यता के संबंध में जाँच प्रतिवेदन दिया गया। जाँच प्रतिवेदन बिल्कुल ही एक पक्षीय उत्तरवादी हलधर यादव के मेल में आकर दिया गया था। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी हलधर यादव के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पहले उत्तरवादी हलधर यादव ने मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था, जिस पर अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी एवं मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश दिया गया। इसके बाद अपीलकर्त्ता ने प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया। उनके आवेदन पर भी अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उत्तरवादी तृतीय पक्ष विज्ञान महामरीक के द्वारा भी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दिया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में तीन उम्मिदवार ने मौजा–पकड़िया के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया था। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता शिक्षक थे एवं सेवा निवृति के बाद गोड्डा टाउन भतडीहा में मकान बनाकर निवास कर रहें हैं। उनके गाँव छोड़े लगभग चालीस वर्ष हो गया है। वे कभी भी मौजा–पकड़िया नहीं जाते हैं। भतडीहा के वोटर लिस्ट में ही अपना नाम दर्ज करा लिया है और वर्तमान समय में भी अपीलकर्त्ता मौजा–पकड़िया में निवास नहीं करते हैं। उनका आगे कथन है कि मौजा–पकड़िया में प्रधानी जोत जमीन नहीं है। इसलिए मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए किसी को कोई रूचि नहीं था। जब उत्तरवादी हलधर यादव ने मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया तब अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी तृतीय पक्ष ने मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा जाँच

प्रतिवेदन यह कहकर दिया गया कि उत्तरवादी हलधर यादव मौजा के प्रधानी पद के लिए योग्य उम्मिदवार है। अपीलकर्त्ता गोड्डा टाउन में रहकर वकालत का अभ्यास करते हैं। गोड्डा टाउन मौजा–पकड़िया से 30 कि0मी0 की दूरी पर है। इसलिए अपीलकर्त्ता प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मिदवार नहीं है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी हलधर यादव गत प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र के वंशज है और निम्न न्यायालय ने उन्हें नियमानुसार मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है। उनका आगे कथन है कि भूलवश उनके वकील के द्वारा उनके पिता के नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया है, जो गलत है। इसकी जानकारी तब हुई जब अपीलकर्त्ता श्रीमान के समक्ष उस तथ्य को उठाया। उक्त मूल के कारण उत्तरवादी हलधर यादव को उनके दावा से बंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी तृतीय पक्ष विज्ञान महामरीक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जागेश्वर महामरीक के दो पुत्र सच्चिदा महामरीक एवं हीरा महामरीक में से सच्चिदा महामरीक के पुत्र अरविन्द महामरीक को पूर्व में मौजा–अराजीकिता का प्रधान नियुक्त किया गया है और इसलिए उत्तरवादी हलधर यादव को निम्न न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाना नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि वर्तमान अपील वाद अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रधानी वाद संख्या–76/11–12 के विरूद्ध लाया गया है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत कुल तीन पक्ष थे जो कि मौजा–पकंड़िया, पोडैयाहाट के लिए प्रधानी पद नियुक्ति हेतु आवेदन दिया था। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने स्तर से 16 आना रैयत को नोटिस करने के साथ–साथ अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की मांग किया जो प्रतिवेदन निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न है। तीनों पक्ष पूर्व प्रधान कृपाली महामरीक के वंशज है जो कि कृपाली महामरीक के तीन पुत्र क्रमशः जागेश्वर महामरीक, सिंगेश्वर महामरीक एवं दुलार महामरीक थे। जिसमें उत्तरवादी

द्वितीय पक्ष हलधर महामरीक, जागेश्वर महामरीक के पोत्र हैं तथा उत्तरवादी तृतीय पक्ष विज्ञान महामरीक, सिंगेश्वर महामरीक के पोता हैं और अपीलकर्त्ता श्यामलाल यादव दुलार महामरीक के पुत्र हैं। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर तीनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दावा के आलोक में तीनों पक्षों में से हलधर यादव को पूर्व प्रधान के प्रथम वंशज के वारिसान को उचित समझते हुए प्रधान नियुक्त किया गया है, जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत नियमानुकूल है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–680 /रा0 दिनांक–24.10.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–पकड़िया थाना नं0–59 जमाबंदी नं0–01 रकवा 38–16–07 धुर भूमि जमाबंदी रैयत कृपाली महामरीक वो कनचन महामरीक वो देवी महामरीक वो अनन्त महामरीक पेशरान दरोगी महामरीक कौम ग्वाला साकिन पसई के नाम से गत सर्वे पर्चा में दर्ज है। भूमि का किस्म प्रधान का जोत कह कर दर्ज है। पंजी–2 में किसी भी प्रधान का नाम दर्ज नहीं है। खतियानी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार है :–

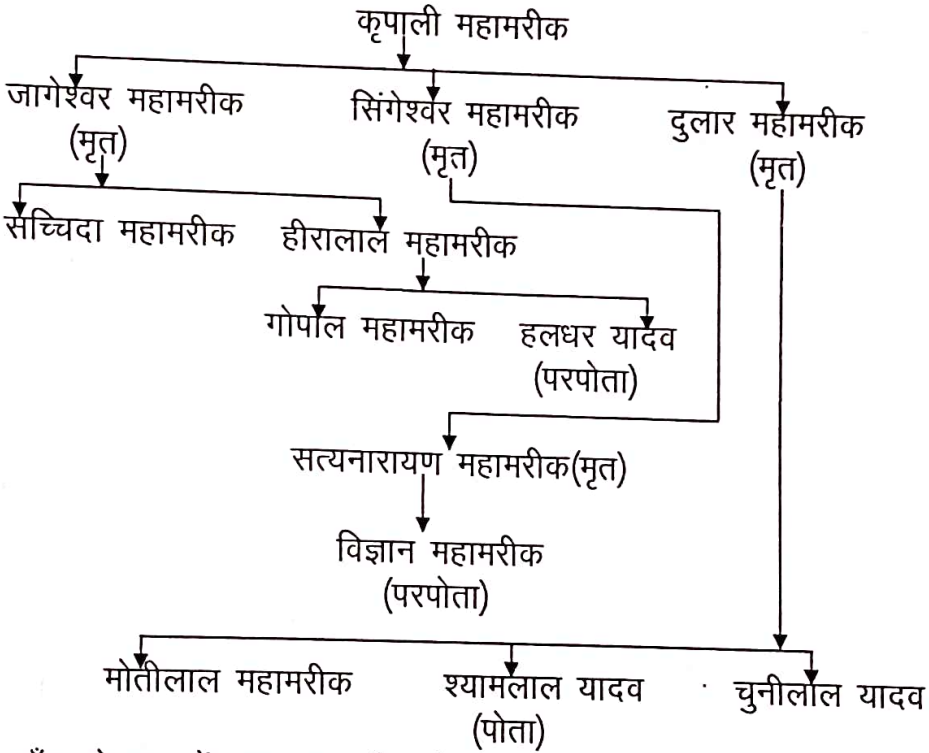

जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री श्यामलाल यादव वर्तमान में अपने मौजा में निवास न कर भतडीहा, गोड्डा में निवास करते हैं, तथा पेशे से वकील हैं। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 में निहित है कि मौजा में स्थाई रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को ही प्रधान

नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा श्री श्यामलाल यादव जो खतियानी रैयत के पोता है, को छोड़ कर खतियानी रैयत के छरपोता श्री हलधर यादव को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–पकड़िया थाना नं0–59 का प्रधान नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तीनों ही पक्ष मौजा–पकड़िया थाना नं0–59 के गत प्रधान कृपाली महामरीक के वंशज हैं। अपीलकर्त्ता श्यामलाल यादव गत कृपाली महामरीक के तृतीय पुत्र दुलार महामरीक के पुत्र हैं। उत्तरवादी तृतीय विज्ञान महामरीक गत प्रधान कृपाली महामरीक के पुत्र सिंगेश्वर महामरीक के पोता हैं तथा उत्तरवादी हलधर यादव, गत प्रधान कृपाली महामरीक के ज्येष्ठ पुत्र जागेश्वर महामरीक के पुत्र हैं। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता श्यामलाल यादव मौजा–पकड़िया में निवास नहीं करके भतडीहा, गोड्डा में निवास करते हैं। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची के अनुसार मौजा में निवास करने वाले को ही मौजा का प्रधान नियुक्त किया जा सकता है। जहाँ तक उत्तरवादी द्वितीय हलधर यादव का नियुक्ति का प्रश्न है। निम्न न्यायालय के द्वारा अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के अनुशंसा के आधार पर गत प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र के वंशज के आधार पर उत्तरवादी हलधर यादव को मौजा–पकड़िया का प्रधान नियुक्त किया गया है। रैयतों के द्वारा भी उत्तरवादी हलधर यादव के विरूद्ध आपत्ति नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–76/11–12 में दिनांक–01.08.2013 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया गया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18/08/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

18/08/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:59:38 +05:30
Location: 192.168.29.8